

16.10.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) श्री मोहन पंत उपस्थित आए।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह जमानत पर मय विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पुजारी एवं श्री किशन सिंह फर्स्वाण उपस्थित आए।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0- 6 महिला कां0 45 अफरोज की सशपथ साक्ष्य अंकित की गयी, बचावपक्ष द्वारा जिरह पूर्ण की गयी। शेष साक्षीगण को समन जारी किया जाए। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि शेष साक्षीगण को नियत तिथि पर उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 16.11.2023 को पेश हो।

(धर्म सिंह)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चमोली।